क्रम-संख्या—246

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 22 अप्रैल, 1978

बैशाख 2, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 983/सत्रह-वि0-1-10-1978

लखनऊ, 22 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 20 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, 1963 और यू0 पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का अग्रतर संशोधन करने, और उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) इसे 21 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 143 क संशोधन

2––उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"(3) जहां किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी अन्य निगम द्वारा ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी भूमि की प्रतिभूति पर कोई ऋण दिया गया हो, वहां इस अध्याय के उपबन्ध (इस धारा को छोड़कर) ऐसी भूमि के संबंध में ऐसे भूमिधर पर लागू न रह जायेंगे और तदुपरान्त वह उक्त भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ऐसी स्वीय विधि से, जिसके वह अधीन हो, शासित होगा।"

धारा 152 का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 152 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :––

"152 (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व आगे दी गयी शर्तों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय होगा।

भूमिधरी स्वत्व कब संक्रमणीय होगा

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व संक्रमणीय नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट भूमिधर, ऐसी परिस्थितियों में जो विहित की जायं, अपनी जोत में अपने स्वत्व को राज्य सरकार से तकावी के रूप में या किसी सहकारी समिति से या स्टेट बैंक आफ इंडिया से या ऐसे किसी अन्य बैंक से जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) के अर्थान्तर्गत अनुसूचित बैंक हो, या उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गये ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है और अपनी जोत में, उस भाग को छोड़कर जो इस प्रकार बन्धक रखा गया हो, अपने स्वत्व को कृषि, उद्यानकरण और पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए दान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को संक्रमित भी कर सकता है।"

धारा 192 का संशोधन

4––मूल अधिनियम की धारा 192 में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

5––मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (1) में, खंड (ङ) में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा।

नयी धारा 198–क का बढ़ाया जाना

6––मूल अधिनियम की धारा 198 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:–

"198–क––(1) जहां धारा 195 या धारा 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय, और प्रदेशनग्रहीता से भिन्न कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके और ऐसे प्रदेशनग्रहीता की सम्मति के बिना ऐसी भूमि पर काबिज हो, वहां असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रदेशनग्रहीता के आवेदन-पत्र पर, उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

गांव सभा के प्रदेशनग्रहीताओं को कब्जा दिया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदेशनग्रहीता द्वारा आवेदन-पत्र––

(क) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व किये गये प्रदेशन की स्थिति में ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर, और

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसे प्रदेशन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर,

प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात्, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) कोई न्यायालय जो उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष करे, उस व्यक्ति को ऐसी भूमि या उसके किसी भाग से सरसरी तौर से बेदखल करने के लिए आदेश दे सकता है और एसा व्यक्ति किसी अन्य कार्यवाही पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखल किया जा सकेगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।"

नयी धारा 247–क का बढ़ाया जाना

7––मूल अधिनियम की धारा 247 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:––

कतिपय दशाओं में मालगुजारी से छूट

"247–क (1) धारा 245, 246 और 247 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परिवार के, जिसके सदस्यों द्वारा 1 जुलाई सन् 1977 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार को मालगुजारी का भुगतान करने के दायित्व से छूट होगी।

(2) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, इस धारा के अधीन छूट का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जायगा जो नियत किया जाय, किन्तु कोई ऐसा अवधारण ऐसे खाते के आगम से सम्बन्धित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा।

(3) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक मण्डल के संबंध में ऐसे व्यक्तियों की जो उपधारा (1) में उल्लिखित छूट के हकदार हों, एक सूची तैयार करेगा जिसमें ऐसे ब्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से दिये जायेंगे, और जो ऐसे दिनांकों के पूर्व प्रकाशित किये जायेंगे जो नियत किये जायं, और ऐसी सूची के संगत उद्धरण सम्बन्धित व्यक्तियों को वितरित करायेगा।

(4) इस धारा के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी खाते के लिए धारा 245, 246 और 247 के अधीन निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायेगी, और सभी अन्य प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा देय मालगुजारी समझी जायगी।

स्पष्टीकरण:––इस धारा के प्रयोजनों के लिए "परिवार" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और उसके अवयस्क बच्चे हैं, चाहे वे उसके साथ संयुक्त हों, या नहीं।"

धारा 294 का संशोधन

8––मूल अधिनियम की धारा 294 में, उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा और 1 जुलाई, सन् 1977 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:––

"(कक) प्राधिकारी जो धारा 247–क में उल्लिखित छूट के लिए हकदार खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ब्योरे जो ऐसी सूची में दिये जायेंगे, उसके प्रकाशन की रीति, दिनांक जिसके पूर्व उसे प्रकाशित किया जायगा, वह रीति जिसके अनुसार और समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज किये जाने से छूट गये किसी ब्योरे के लिये या दर्ज किये गये किसी ब्योरे के विरुद्ध आपत्तियां की जायेंगी और रीति जिसके अनुसार और प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी आपत्तियों का निस्तारण किया जायगा और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बन्धित विषय;"।

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 8–क का संशोधन

9––उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 8–क में––

(एक) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:––

"(घ) प्रत्येक कृषक के लिये मानक गाटा";

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबन्दी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) क खंड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा।"

अध्याय—चार

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, 1963 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1963 की धारा 2 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, 1963 की धारा 2 में,—

(क) खंड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(8—क) "बाग भूमि" का तात्पर्य भूमि के किसी ऐसे विशिष्ट टुकड़े से है जिस पर इतनी संख्या में वृक्ष लगाये गये हों कि उनसे या उनके पूर्णतः विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी प्रचुर भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करना प्रवारित हो या हो जायगा, और ऐसी भूमि पर लगे वृक्षों से बाग बन जायगा ;";

(ख) खण्ड (20) में, शब्द "बाग" निकाल दिया जायगा।

अध्याय—पाँच

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901 की धारा 54 का प्रतिस्थापन

11—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"54 (1) इस अध्याय के अधीन मानचित्र और अभिलेखों का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र शोधन, खेतवार पड़ताल और चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात्, नायब तहसीलदार ऐसे रजिस्टर में लिपिकीय भूलों और गलतियों को, यदि कोई हों, ठीक करेगा और सम्बद्ध खातेदार और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस भिजवायेगा जिसमें चालू वार्षिक रजिस्टर और ऐसे अन्य अभिलेखों से जिन्हें विहित किया जाय, सुसंगत उद्धरण दिये जायेंगे, और जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्व और उक्त उपधारा में उल्लिखित क्रियाओं के दौरान पायी गयी भूलें और विवाद दिखाये जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऐसे अभिलेखों या उद्धरणों में प्रविष्टियों की शुद्धता या उनके प्रकार के सम्बन्ध में प्रतिवाद किया गया हो।

(4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति भी उपधारा (5) के अनुसार विवाद का निबटारा होने के पूर्व नायब तहसीलदार के समक्ष, या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किये जाने के पूर्व सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष किसी समय आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(5) नायब तहसीलदार—

(क) जहां उपधारा (3) या उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायें, वहां सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे,

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश पारित करेगा।

(6) उन सभी मामलों के अभिलेख जिनका निस्तारण नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जायगा, जो उनका निस्तारण, यथास्थिति, धारा 40, 41 या 43 के उपबन्धों के अनुसार करेगा और जहां विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, वहां वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् करेगा ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाय कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहां वह ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(8) सहायक अभिलेख अधिकारी का प्रत्येक आदेश--

(क) जो उपधारा (6) के अधीन दिया गया हो, धारा 210 और 219 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा;

(ख) जो उपधारा (7) के अधीन दिया गया हो, व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में प्रस्तुत वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।"

अध्याय--छः

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1972 का निरसन

12--उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 को दिनांक 1 जुलाई, 1977 से निरसित किया जाता है ।

अध्याय--सात

निरसन और अपवाद

13--(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, धारा 7, 8 और 9 में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा

सचिव ।

No. 983 (2) /XVII-V—1-10-1978

Dated Lucknow, April 22, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 20, 1978 :

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act No. 6 of 1978]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, the Uttar Pradesh Vrihat Jot Kar Adhiniyam, 1963 and the U. P. Land Revenue Act, 1901, and to repeal the Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 21, 1978.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

Amendment of section 143 of U.P. Act 1 of 1951.

2. In section 143 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3) Where a Bhumidhar with transferable rights has been granted, before or after the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1978, any loan by the Uttar Pradesh Financial Corporation or by any other Corporation owned or controlled by the State Government, on the security of any land held by such Bhumidhar, the provisions of this Chapter (other than this section) shall cease to apply to such Bhumidhar with respect to such land and he shall thereupon be governed in the matter of devolution of the land by personal law to which he is subject."

Amendment of section 152.

3. *For* section 152 of the principal Act, the following section shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

Bhumidhari interest when transferable.

"152. (1) The interest of a Bhumidhar with transferable rights shall, subject to the conditions hereinafter contained, be transferable.

(2) Except as otherwise expressly permitted by this Act or any other law for the time being in force, the interest of a Bhumidhar with non-transferable rights shall not be transferable.

(3) A Bhumidhar referred to in sub-section (2) may, in such circumstances as may be prescribed, mortgage, without possession his interest in his holding, as security for a loan taken from the State Government by way of *taqavi*, or from a co-operative society or from the State Bank of India, or from any other bank, which is a Scheduled bank within the meaning of clause (*e*) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934, or from the Uttar Pradesh State Agro Industrial Corporation Limited, and may also transfer, by way of gift, the interest in his holding, except the part thereof which has been so mortgaged, to a recognised educational institution for any purpose connected with instructions in agriculture, horticulture and animal husbandry."

Amendment of section 192.

4. In section 192 of the principal Act, the words "or sirdar" shall be *omitted*.

Amendment of section 198.

5. In section 198 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*e*), the word "sirdar" shall be *omitted*.

Insertion of new section 198-A.

6. *After* section 198 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Restoration of possession to Gaon Sabha allottees.

"198-A. (1) Where any land referred to in section 195 or section 197 is allotted to any person whether as a Bhumidhar with non-transferable rights or as an Asami, and any person other than the allottee is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act and without the consent of such allottee, the Assistant Collector may, on the application of the allottee put him in possession of such land and may, for that purpose, use or cause to be used such force as he considers necessary.

(2) Every application by an allottee under sub-section (1) may be filed—

(*a*) in case of an allotment made before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1978 within three years from the date of such commencement; and

(*b*) in any other case, within three years from the date of such allotment.

(3) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

(4) Any court convicting a person under sub-section (3) may make an order for evicting the person summarily from such land or any part thereof and such person shall be liable to eviction, without prejudice to any other action that may be taken against him under any other law for the time being in force.

(5) Every offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable."

Insertion of new section 247-A.

7. *After* section 247 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Exemption of land Revenue in certain cases.

"247-A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 245, 246 and 247, every member of a family, the total area of land held by whose members as Bhumidhars on or after the date of commencement of the agricultural year beginning on July 1, 1977 does not exceed 1.26 hectares (3.125 acres), shall be exempt from the liability to pay land revenue to the State Government.

(2) The share of an individual or any member of his family in a holding shall, for the purposes of determining exemption under this section be decided in such manner and by such authority as may be prescribed, but no such determination shall be binding on any court or tribunal in any suit or other proceedings relating to the title to such holding.

(3) The Prescribed Authority shall prepare and publish a list, in respect of each circle, of persons entitled to the exemption mentioned in sub-section (1) containing such particulars, in such form and manner and before such dates as may be prescribed and shall cause relevant extracts from the list to be delivered to the persons concerned.

(4) Notwithstanding the provisions of this section, the land revenue assessed under sections 245, 246 and 247 for a holding shall be recorded in full in the record of rights, and shall, for all other purposes, be deemed to be the land revenue payable by him.

Explanation—For the purposes of this section, 'Family' consists of an individual, his or her spouse, and minor children, whether they are joint or not with the individual."

Amendment of section 294.

8. In section 294 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*a*), the following clause shall be inserted and be deemed to have been *inserted* from July 1, 1977, namely:—

"(*aa*) The authority which shall prepare and publish the list of tenure-holders entitled to the exemption mentioned in section 247-A, the particulars which shall be entered in such list, the manner of its publication, the dates before which it shall be published, the manner in which and the time within which objections may be made against any omission from or against the particulars entered in such list, and the manner in which and the authority by which such objections shall be disposed of, and matters relating to the determination of shares under sub-section (2) of the said section;".

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953

Amendment of section 8-A of the U. P. Act V of 1954.

9. In section 8-A of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953—

(i) in sub-section (2), *after* clause (*c*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*d*) the standard plots for each unit.";

(ii) *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) The standard plots referred to in clause (*d*) of sub-section (2) shall be determined by the Assistant Consolidation Officer after ascertaining from the members of the Consolidation Committee and the tenure-holders of the units, the best plot or plots of the unit, regard being had to productivity, location and the existing soil class of the plot or plots."

CHAPTER IV

Amendment of the Uttar Pradesh Vrihat Jot Kar Adhiniyam, 1963

Amendment o section 2 of U.P. Act no. XII of 1963.

10. In section 2 of the Uttar Pradesh Vrihat Jot Kar Adhiniyam, 1963—

(*a*) *after* clause (8), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(8-A) 'Grove-land' means any specific piece of land having trees planted thereon in such numbers that they preclude, or when full grown will preclude, the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose, and the trees on such land constitute a grove;"

(*b*) in clause (20), the word "grove" shall be *omitted*.

CHAPTER V

Amendment of the U.P. Land Revenue Act, 1901

Substitution of section 54 of the U. P. Act III of 1901.

11. *For* section 54 of the U P. Land Revenue Act, 1901, the following section shall be *substituted*, namely:—

"54 (1) For revising the map and records under this Chapter, the Record Officer shall, subject to the provisions hereinafter contained, cause to be carried out survey, map correction, field to field Partal and test and verification of current annual register in accordance with the procedure prescribed.

(2) After the test and verification of the current annual register in accordance with sub-section (1), the Naib-Tahsildar shall correct clerical mistakes and errors, if any, in such register, and shall cause to be issued to the concerned tenure-holder and other persons interested, notices containing relevant extracts from the current annual register and such other records as may be prescribed, showing their rights and liabilities in relation to land and mistakes and disputes discovered during the operations mentioned in the said sub-section.

(3) Any person to whom notice under sub-section (2) has been issued may, within twenty-one days of the receipt of notice, file before the Naib-Tahsildar objection in respect thereof disputing the correctness or nature of the entries in such records or extracts.

(4) Any person interested in the land may also file objection before the Naib-Tahsildar at any time before the dispute is settled in accordance with sub-section (5), or before the Assistant Record Officer, at any time before the objections are decided in accordance with sub-section (6).

(5) The Naib-Tahsildar shall—

(*a*) where objections are filed in accordance with sub-section (3) or sub-section (4) after hearing the parties concerned; and

(*b*) in any other case after making such inquiry as he may deem necessary;

correct the mistake, and settle the dispute, by conciliation between the parties appearing before him, and pass orders on the basis of such conciliation.

(6) The record of all cases which cannot be disposed of by the Naib-Tahsildar by conciliation as required by sub-section (5), shall be forwarded to the Assistant Record Officer who shall dispose of the same, in accordance with the provisions of sections 40, 41 or 43, as the case may be, and where the dispute involves a question of title, he shall decide the same after a summary inquiry.

(7) Where after the summary inquiry under sub-section (6), the Assistant Record Officer is satisfied that the land in dispute belongs to the State Government or a local authority, he shall cause the person in unauthorised occupation of such land to be evicted and may, for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(8) Every order of the Assistant Record Officer—

(*a*) made under sub-section (6) shall, subject to the provisions of sections 210 and 219, be final;

(*b*) made under sub-section (7) shall subject to the result of any suit which the aggrieved person may file in any court of competent jurisdiction, be final."

CHAPTER VI

Repeal of the Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972

Repeal of U.P. Act 35 of 1972.

12. The Uttar Pradesh Land Development Tax Act, 1972 is hereby repealed with effect from July 1, 1977.

CHAPTER VII

Repeal and savings.

13. (1) The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under any of the principal Acts, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the aforesaid Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 सा0विधा0—22-4-78—1978—700 (मे0क0)।